न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 12/2025

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2025/105

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी पाली		1. हनुवंतसिंह पुत्र हम्मीरसिंह निवासी 189, मरूधर नगर, पाली (हाल प्रोपराईटर) फर्म मैसर्स मातेश्वरी मोटर्स, 29 मणिनगर, सुमेरपुर रोड, पाली शहर

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक:– 26/03/2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3ए, सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से जब्तसुदा सिलेण्डरों मय गैस रिफिलींग इलेक्ट्रीक मशीन को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 15.02.2025 को मन प्रवर्तन अधिकारी पाली हमराह श्री जितेन्द्रसिंह आशिया प्रवर्तन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलींग एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान अप्रार्थी के प्रतिष्ठान मैसर्स मातेश्वरी मोटर्स, मणिनगर, सुमेरपुर रोड पर पहुंचे। मौके पर हनुवंत सिंह उपस्थित मिले, जिन्होंने खुद को प्रोपराईटर होना बताया। मौके पर रूबरू मौतबिरान भूपेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह, निवासी 419, बापू नगर विस्तार, पाली एवं प्रकाश पुत्र मोहनराम, निवासी ग्राम धोरू, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर की उपस्थिति में प्रतिष्ठान में जांच के दौरान 2 घरेलु गैस सलेण्डर (14.02 किग्रा) एचपी कम्पनी मय एक गैस रिफिलींग इलेक्ट्रीक मशीन के पायी गयी। अप्रार्थी से मौके पर प्राप्त गैस सिलेण्डर से सम्बन्धित आवश्यक विधिक दस्तावेज मांगने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, न ही संतोष जनक जवाब दिया। जिस पर गैस सलेण्डर के अवैध रूप से

अति. जिला कलेक्टर पाली

भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लिए जाने पर गैस सिलेण्डर का उपयोग रूकवाया जाकर मौके पर मैसर्स लक्ष्मी इण्डेन गैस सर्विस, पाली के प्रतिनिधी द्वारा हैंगिग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी–1 के अनुसार स्थिति पाई गई :–

सारणी–1

(वजन Kg.मे)

क्र. सं.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुये सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	30.900	15.700	14.200	318774
2	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	15.900	15.900	0.000	193728
गैस रिफिलींग इलेक्ट्रीक मशीन							

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी–1 में वर्णित गैस सिलेण्डर को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु मनोज कुमार पुत्र घेवरराम, निवासी 188, महाराणा प्रताप नगर, गर्ल्स स्कूल के पास, पाली हाल मैनेजर मैसर्स लक्ष्मी इण्डेन गैस सर्विस, पाली को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलु गैस सलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) मय गैस एवं गैस रिफिलींग इलेक्ट्रीक मशीन को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि उनके प्रतिष्ठान मातेश्वरी मोटर्स पर रिपेयरिंग एवं वाहनों में एलपीजी गैस फिटिंग का कार्य किया जाता है। प्रार्थी द्वारा जो घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये है उनसे केवल एलपीजी गैस में लेवल चेक किया जाता है तथा जो गैस रिफिलींग इलेक्ट्रीक मशीन जब्त की है उसे केवल रिपेयर किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाता है और न ही अवैध रिफिलींग का कार्य किया जाता है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर एवं गैस रिफिलींग इलेक्ट्रीक मशीन को अप्रार्थी को लौटाया जावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान मैसर्स मातेश्वरी मोटर्स, मणिनगर, सुमेरपुर रोड पर घरेलु गैस सलेण्डर का अवैध रूप से

अति. जिला कलेक्टर पाली

व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण दौरान पहुंचे, जहां पर अप्रार्थी एवं मौके पर रूबरू मौतबिरान भूपेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह, निवासी 419, बापू नगर विस्तार, पाली एवं प्रकाश पुत्र मोहनराम, निवासी ग्राम धोरू, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर की उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म का निरीक्षण करने पर अप्रार्थी की फर्म में 2 घरेलु गैस सलेण्डर (14.02 किग्रा) एचपी कम्पनी के मय गैस रिफिलींग इलेक्ट्रीक मशीन पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर के उपयोग के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पर्चा से होती है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौकाफर्द के अवलोकन से भी यह जाहिर होता है कि घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हो रहा था, जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त घरेलु गैस सलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग रूकवाकर हैगिंग स्केल द्वारा तौल किया एवं गैस सिलेण्डर कब्जे में लेकर मैसर्स लक्ष्मी इण्डेन गैस सर्विस, पाली को सुपुर्द किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर द्रवित गैस, पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के तहत की है। साथ ही अप्रार्थी ने भी दौराने बहस यह स्वीकार किया कि घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यवसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के उपबन्धों की अवहेलना की है। लिहाजा उक्त जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डर को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उपरोक्त सारणी–1 में वर्णित घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) के अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना किये जाने से उक्त 02 गैस सिलेण्डर को मय गैस राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं एवं जब्त गैस रिफिलींग इलेक्ट्रीक मशीन को अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेंषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 8618/खा.ले./नीति/6A/2020 जयपुर दिनाँक 19.08.2000 एवं उसकी पालना में खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F04{23} खा. ले/नीति/6A/89 जयपुर दिनाँक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)